भारत INDIA
दस रुपये TEN RUPEES

78

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल, ग्वालियर संभाग, भोपाल

प्रकरण कमांक –
PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2018/1060

श्रीकिशन मीणा आयु लगभग 80 वर्ष,
पुत्र स्व0 श्री धासीराम मीणा
कृषक व निवासी – ग्राम पिपलियॉ बॉज खॉ
तहसील हुजूर जिला भोपाल — आवेदक/रीविजनकर्ता

आवेदक अभिभाषक श्री आर. के. जैन द्वारा भोपाल कैम्प में आज दिनांक 24/1/18 को प्रस्तुत किया। 24/1/18

विरूद्ध

1. श्रीमती कल्पना उपाध्याय पत्नी श्री सुभाष उपाध्याय
आयु वयस्क,
निवासी – म. न. 131 फिरदोस नगर बैरसिया रोड भोपाल
2. शासन
राजस्व निरीक्षक वृत कं 02 भोपाल — अनावेदक/उत्तरदाता

निगरानी/रीविजन आवेदन अर्न्तगत धारा 50 म0 प्र0 भुराजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

आवेदक/रीविजनकर्ता द्वारा यह रीविजन राजस्व निरीक्षक मण्डल 2 ग्राम पिपलिया बाज खॉ तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा सीमाकंन प्रकरण 117/अ – 12/2016–2017 में दिनांक 08/06/17 को प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं आदेश के विरूद्व दुखित एवं असंतुष्ठ होकर माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्य एवं वैधानिक आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2018/1060

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
13-3-2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के सीमांकन आदेश दिनांक 8-6-17 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 24-1-2018 को लगभग 5 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, जबकि राजस्व निरीक्षक आवेदक को सीमांकन कार्यवाही की सूचना दी गई है, जिसका उल्लेख भी राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन में किया गया है । अत: यह निगरानी प्रथम दृष्टया समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	